फर्द अहकाम

सरकार बनाम किशना लक्ष्मी

...लय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

21/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/9/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. RO साहब कार्य से बाहर पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 25/10/24 को पेश हो।	
25/10/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
14/11/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. RO साहब कार्य से बाहर पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 13/12/24 को पेश हो।	
13/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. RO साहब कार्य से बाहर पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 3/1/25 को पेश हो।	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/... के कारण कार्य स्थगित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/1/25 पेश हो।	
31/1/25	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/... के कारण कार्य स्थगित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/2/25 पेश हो।	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन अप्रार्थी उपस्थित	

फर्द अहकाम

सरकार बनाम विजया लक्ष्मी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 21/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
		बही। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बैसल शुमार होकर नजर रिकॉर्ड हो तथा वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
21/2021	29/01/2021	11.02.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

विजया लक्ष्मी पत्नी जगदीश प्रसाद गुर्जर जाति गुर्जर नि0 प्लाट नं0 91, नारायण विहार, गौशाला के पास, प्रतापनगर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीया

उपस्थित –

पैरोकार सरकार :– उपस्थित।

दावा बाबत बेदखली एवं सिवायचक करने

अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णयः–

प्रार्थी (तहसीलदार जमवारामगढ) ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का धुलारावजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि है तथा प्रार्थी भूमिधारी है। पटवारी हल्का आधी के जॉच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीया द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पर गैर कृषि कार्य आवासीय प्लाटिंग कर बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि का उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थीया द्वारा न्यायालय तहसीलदार कार्यालय द्वारा प्रकरण सं0 02/2010 (पत्रावली संख्या 02/2017) उनवार सरकार बनाम विजया लक्ष्मी में नोटिस जारी किया जाकर बिना अनुमति आवासीय प्लाटिंग करने के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन अप्रार्थीया द्वारा स्वयं या प्रतिनिधि तथा किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही हो कर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि मे कराये जा रहे अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय प्लाटिंग प्रार्थी के भू स्वामित्व के विरूद्व होकर हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण बेदखली की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीया द्वारा मौके पर कृषि भूमि पर की जा रही कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है। अप्रार्थीया द्वारा धारित खातेदारी भूमि से अप्रार्थीया को बेदखल किया जाकर भूमि को सिवाय चक किया जाना न्यायोचित है। कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी की भूमि पर भूमि धारण करने वाले खातेदारों द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया है, जिसके लिए खातेदारान को मौके से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीया को खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः राजस्व ग्राम हीरापुरा खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गैर कृषि कार्य आवासीय प्लाटिंग करने पर सम्पूर्ण भूमि एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद के आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी रजिस्टरर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीया/प्रतिवादीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थीया/प्रतिवादीया को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही । अतः अप्रार्थीया / प्रतिवादीया के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम हीरापुरा, पटवार हल्का धुलारावजी, हाल तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में खातेदार (अप्रार्थी/प्रतिवादी) द्वारा बिना संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि को अकृषि कार्य (आवासीय प्लाटिंग कर) उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरित है तथा प्रदत्त शर्तो को भंग किया गया है। बिना संपतिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि का अकृषि कार्य यथा आवासी प्लाटिंग कर उपयोग उपभोग करने से राजस्व की भी हानि हुई तथा नियम विरूद्व भी है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी) द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ हाल आंधी) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम हीरापुरा, पटवार हल्का धुलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शर्तो को भंग करने पर राजकीय भूमि (सिवायचक) घोषित की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही तहसीलदार आंधी को यह आदेश भी दिया जाता है कि अप्रार्थीया/प्रतिवादीया को उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 153/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से बेदखल किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ